उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.   वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए—

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 130 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 130 की उपधारा (6) में प्रथम प्रस्तर को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का गठन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराया जाना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और ऐसा प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेगा, किन्तु अति अपरिहार्य परिस्थितियों में इस अवधि को एक बार के लिए पुनः छः मास से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, क्षेत्र पंचायत की दशा में प्रमुख, जिला पंचायत की दशा में अध्यक्ष की समस्त शक्तियों, कृत्यों के साथ—साथ तीनों स्तर की पंचायतों की समितियों की शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन करेगा।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 (अध्यादेश संख्या 03 वर्ष 2021) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

   (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

....

The Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2021
(Uttarakhand Bill No. of 2021)

A
Bill

further to amend the Uttarakhand Panchayat Raj Act, 2016,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second year of the Republic of India.

Short title and commencement 1 (1) This Act shall be called the Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 130 2 In Section 130 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016, first paragraph of sub-section (6) shall be substituted as follows, namely-

"(6) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where due to inevitable circumstances, or in public interest, it is not feasible to conduct election for constitution of any Gram Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat before the expiration of its term, the State Government or any officer authorised by it in this behalf may by order appoint administrator and such administrator shall hold the post for such period not exceeding six months as specified in the said order but in very inevitable circumstances this period may be extended once again for the period not exceeding six months and shall discharge all powers and functions, of Pradhan in case of Gram Panchayat, Pramukh in case of Kshettra Panchayat, Chairman in case of Zila Panchayat with powers and functions of the committees of three level Panchayats."

Repeal and saving 3 (1) The Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 3 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Statement of Object and Reasons

Due to unavoidable circumstances in public interest for appointing administrator on non-feasibility of conducting election to constitute Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat before expiration of its tenure and to extend the tenure of appointed Administrator in very inevitable circumstance first para of sub section (6) of section 130 of Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 is substituted by the Uttarakhand Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2021.

2. The proposed Bill is replacing Bill of the aforesaid Ordinance.

3. The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Arvind Pandey
Minister.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016" का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्निहित नहीं है।

अरविन्द पाण्डेय
मंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधयेक ''उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016'' का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र है।

अरविन्द पाण्डेय
मंत्री।

विधेयक का खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक ''उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016'' का संशोधन मात्र है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ हेतु उपबंध प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में धारा 130 की उपधारा (6) का संशोधन प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 3 में निरसन एवं व्यायवृत्ति हेतु उपबंध प्रस्तावित है।

अरविन्द पाण्डेय
मंत्री।

कारण और उद्देश्य

चूँकि न्यायालयों में लायी गयी विषय वस्तु का मूल्य सारभूत रूप से बढ़ चुका है, अतः सिविल न्यायालयों और साथ में उच्च न्यायालय की प्रारम्भिक, अपीलीय और पुनरीक्षण की धन–संबंधी अधिकारिता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि न्याय के बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति में संशोधन कर उपरोक्त धन–संबंधी अधिकारिता में वृद्धि की जाय।

2– तद्नुसार उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री